

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसावाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2025/ सरफैरसी

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने,
निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019 राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गणेशी कुमारी मेघवाल पत्नी स्व. श्री त्रिलोक मेघवाल पता-मकान सं. 217,
बाजार घासा, तहसील-मावली, उदयपुर 313201
2. देवीलाल (देवाजी) पुत्र श्री केवल पता-मकान सं. 217, बाजार घासा, तहसील-मावली,
उदयपुर 313201

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

उपस्थित: श्री मन्जूर खान अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक.....28/01/25



प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 3,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (पट्टा सं. 53291, बुक सं. 109, संकल्प सं. 01, मिसल सं. 90, ग्राम पंचायत घासा तहसील- मावली, उदयपुर राजस्थान में स्थित है, जो कि देवीलाल पुत्र श्री केवा मेघवाल के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 651 वर्गफीट है जिसके पूर्व में स्वयं की सम्पत्ति है, पश्चिम में स्वयं की सम्पत्ति, उत्तर में पुरा पुत्र गंगा का मकान, दक्षिण में रास्ता है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 23.07.2024 तक 5,37,743/-रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति

**जिला कलक्टर
उदयपुर**

उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 23.07.2024 तक 5,37,743/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (पट्टा सं. 53291, बुक सं. 109, संकल्प सं. 01, मिसल सं. 90, ग्राम पंचायत घासा तहसील- मावली, उदयपुर राजस्थान में स्थित है, जो कि देवीलाल पुत्र श्री केवा मेघवाल के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 651 वर्गफीट है जिसके पूर्व में स्वयं की सम्पत्ति है, पश्चिम में स्वयं की सम्पत्ति, उत्तर में पुरा पुत्र गंगा का मकान, दक्षिण में रास्ता है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।



M
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर